

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 06-01-2025

विषय सूची

तमिलनाडु ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने वाले को 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की
गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती
डमपजल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया
सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण नीतियों में नवीनता की आवश्यकता
ग्रेट निकोबार परियोजना का विस्तार
नैनोपोर प्रौद्योगिकी
केरल ने वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा

संक्षिप्त समाचार

विंटर चार धाम

इक्वेडोर (Ecuador)

CSIR पेरासिटामॉल टेक्नोलॉजी

ग्रामीण गरीबी में गिरावट: SBI अनुसंधान

डॉ राजगोपाला चिदंबरम

ISRO's CROPS प्रयोग

विश्व ब्रेल (Braille) दिवस 2025

INSV तारिणी

तमिलनाडु ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने वाले को 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की

समाचार में

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को समझने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के लिए 1 मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की।

सिंधु घाटी लिपियों का परिचय

- **संक्षिप्त विवरण:** यह विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय लेखन प्रणालियों में से एक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - **चित्रात्मक प्रकृति:** इस लिपि में चित्रात्मक प्रतीक हैं, जिनमें 400 से अधिक विशिष्ट चिन्हों की पहचान की गई है। प्रतीकों में मानव, पशु, पौधे और ज्यामितीय आकृतियों का प्रतिनिधित्व शामिल है।
 - **लेखन माध्यम और विधियाँ:** मुहरों, मूद्राओं, तख्तियों और औजारों पर पाई जाती हैं। अधिकांश शिलालेख छोटे होते हैं, सामान्यतः 5-6 अक्षरों से अधिक नहीं।
 - **लोगो-शब्दांश प्रणाली:** विद्वानों का मानना है कि लिपि में लोगोग्राम (शब्दों या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक) को शब्दांशों के साथ जोड़ा गया हो सकता है।
 - **दाएँ से बाएँ लेखन:** अधिकांश शिलालेख दाएँ से बाएँ लिखे हुए प्रतीक होते हैं, हालाँकि कुछ साक्ष्य बुस्टोफेडॉन शैली (वैकल्पिक दिशाएँ) का सुझाव देते हैं।
 - **गैर-पठनीय प्रकृति:** रोसेटा स्टोन जैसे द्विभाषी पाठ या विस्तारित शिलालेखों की कमी ने पठन में बाधा उत्पन्न की है। इस लिपि के पीछे की भाषा अज्ञात है, हालाँकि कई विद्वानों का अनुमान है कि यह द्रविड़ या प्रोटो-द्रविड़ भाषा रही होगी।

सिंधु लिपि को समझने की आवश्यकता

- **अतीत को समझना:** सिंधु घाटी लिपि में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के ऐतिहासिक एवं भाषाई दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालने और वैदिक प्रथाओं सहित बाद के सांस्कृतिक विकास के साथ इसके संबंधों पर प्रकाश डालने की अपार क्षमता है।
- **धार्मिक प्रथाओं को समझना:** लिपि को समझने से प्रारंभिक प्रथाओं, देवताओं और विश्वास प्रणालियों को स्पष्ट किया जा सकता है, जो बाद की धार्मिक परंपराओं के साथ संरेखित हो सकती हैं या उन्हें प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें शिव की पूजा (पशुपति मुहर द्वारा प्रमाणित) और अग्नि अनुष्ठान शामिल हैं।
 - पशुपति मुहर से शिव पूजा के प्रारंभिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जो बाद में वैदिक और हिंदू परंपराओं का केंद्रीय हिस्सा बन गया।

सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) का परिचय

- इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग 3300-1300 ईसा पूर्व के दौरान फली-फूली। 1924 में जॉन मार्शल द्वारा खोज।
- यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ विश्व के सबसे प्रारंभिक शहरी समाजों में से एक है।
- यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुव्यवस्थित शहर शामिल हैं, जिनमें ग्रिड जैसी सड़कें, जल निकासी प्रणालियाँ एवं सार्वजनिक स्नानघर हैं।

- IVC के लोगों की अर्थव्यवस्था अत्यधिक संगठित थी, वे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में लगे हुए थे, तथा वे मनका-निर्माण, मृद्भांड बनाने और धातुकर्म जैसे शिल्पों में कुशल थे।
- 1900 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता के पतन के लिए पर्यावरणीय परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन और संभवतः आंतरिक संघर्ष जैसे कारकों को उत्तरदायी ठहराया जाता है।

Source: TH

गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती

संदर्भ

- गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती 6 जनवरी को पूरे भारत में मनाई जा रही है।

परिचय

- गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को 1666 में पटना साहिब, बिहार में हुआ था।
- वह नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, जिन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब ने शहीद कर दिया था।
 - अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् 9 वर्ष की आयु में वे सिखों के दसवें और अंतिम गुरु बने।
- 1708 में मुगल सेना के साथ युद्ध के पश्चात् 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

सिख धर्म और उसके सिद्धांतों को आकार देने में भूमिका

- उन्होंने आध्यात्मिक और सैन्य समुदाय बनाने के लिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की।
- खालसा की पहचान पाँच आस्था से संबंधित वस्तुओं से होती है: केश, कड़ा, कंगा, कचरे और कृपाण।
- **सिख साहित्य:** वह एक कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे।
 - उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की, जो भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह है जिसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता और युद्ध के विषयों को शामिल किया गया है।
 - उन्होंने सम्राट औरंगजेब को लिखा गया पत्र 'जफरनामा' भी संकलित किया, जो साहस, दर्शन और गरिमा का अद्वितीय मिश्रण है।
- **समानता और एकता को बढ़ावा देना:** उन्होंने जाति और सामाजिक बाधाओं को समाप्त करने का समर्थन किया। उन्होंने सरबत दा भला (सभी के लिए कल्याण) की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया तथा आध्यात्मिक प्रगति के प्रमुख सिद्धांत के रूप में मानवता की सेवा पर प्रकाश डाला।

समकालीन विश्व में शिक्षाओं की प्रासंगिकता

- **साहस और लचीलापन:** राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और सामाजिक अशांति के समय में, उनका लचीलापन एवं साहस व्यक्तियों और समुदायों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने तथा न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है।
- **समानता और सामाजिक न्याय:** एक ऐसे विश्व में जो अभी भी जाति-आधारित भेदभाव, नस्लवाद और लैंगिक असमानता से जूझ रहा है, गुरु गोबिंद सिंह का समानता पर बल महत्वपूर्ण है।
 - ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन और लैंगिक समानता की लड़ाई उनकी शिक्षाओं से मेल खाती है।
- **धार्मिक स्वतंत्रता:** धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न सहित धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष, सहिष्णुता और सम्मान के अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की माँग करता है।
- **सेवा और करुणा:** गरीबी, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच एवं पर्यावरण क्षरण का वर्तमान वैश्विक संकट सामूहिक कार्रवाई और करुणा की माँग करता है, जो दूसरों की सेवा करने की उनकी शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।

निष्कर्ष

- गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाएँ आज भी विश्व में प्रासंगिक हैं तथा समानता, साहस और सेवा के मूल्यवान सबक देती हैं।
- एकता, न्याय और मानव गरिमा पर उनका जोर समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली ढाँचा प्रदान करता है, तथा व्यक्तियों और समाजों को अधिक समावेशी और करुणा युक्त भविष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

Source: IE

MeitY ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया

संदर्भ

- सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।
 - एक बार अधिसूचित होने के पश्चात्, ये नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करेंगे।

मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- **डेटा फिड्युसरी:** मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न सहित सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को महत्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है।
- **डेटा संरक्षण अधिकारी:** यह वह व्यक्ति है जिसे डेटा फिड्युसरी द्वारा इस कार्य के प्रयोजन के लिए डेटा प्रिंसिपल से प्राप्त किसी भी संचार का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। "प्रमुख डेटा" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है।
 - अधिकारी भारत में स्थित होना चाहिए;
 - महत्वपूर्ण डेटा प्रत्ययी के निदेशक मंडल या समान शासी निकाय के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए।
- **पारदर्शिता:** डेटा फिड्युसरीज़ को व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित किया जाता है, इसके बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि सूचित सहमति प्राप्त हो सके।
- **डेटा के प्रवाह पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार व्यक्तिगत डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करेगी जिसे "महत्वपूर्ण डेटा फिड्युसरीज़" द्वारा संसाधित किया जा सकता है
 - इस पर प्रतिबंध है कि ऐसा व्यक्तिगत डेटा भारत के क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- **नागरिकों के अधिकार:** नागरिकों को डेटा मिटाने की माँग करने, डिजिटल नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने और अपने डेटा को प्रबंधित करने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल तंत्र तक पहुँच के अधिकार दिए गए हैं।
- **बच्चों के लिए:** यह तकनीकी कंपनियों को बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले "सत्यापन योग्य" माता-पिता की सहमति एकत्र करने के लिए एक तंत्र को लागू करने की अनुमति देता है।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड:** बोर्ड एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं ऐप होगा जिससे नागरिक डिजिटल रूप से संपर्क कर सकेंगे और अपनी शिकायतों का निपटारा करा सकेंगे।

- **डेटा उल्लंघन:** डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा फिड्युशरीज़ को जोखिम को कम करने के लिए लागू किए गए उपायों सहित, बिना किसी देरी के प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना होगा।
 - डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय न करने पर जुर्माना 250 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- **पृष्ठभूमि:** 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने भारत के लिए डेटा संरक्षण ढाँचा विकसित करने का निर्णय लिया है।
 - डेटा संरक्षण विधेयक का पहला मसौदा 2018 में सामने आया था।
 - 2019 और 2021 में कई दौर के संशोधन के बाद, इस विधेयक को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- **दायरा:** यह भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है जहां ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है, या ऑफलाइन एकत्र किया जाता है और डिजिटल किया जाता है।
 - यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होता है, यदि वह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए हो।
- **सहमति:** किसी व्यक्ति की सहमति से व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिए ही संसाधित किया जा सकता है।
 - किसी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से डेटा साझा करने या राज्य द्वारा परमिट, लाइसेंस, लाभ और सेवाओं के लिए प्रसंस्करण जैसे निर्दिष्ट वैध उपयोगों के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
- **डेटा न्यासियों के लिए दायित्व:** डेटा की सटीकता बनाए रखना, डेटा को सुरक्षित रखना, तथा उद्देश्य पूरा हो जाने पर डेटा को हटा देना।
- **व्यक्तियों के अधिकार:** सूचना प्राप्त करने, सुधार और विलोपन की माँग करने तथा शिकायत निवारण का अधिकार।
- **छूट:** सरकारी एजेंसियों को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे निर्दिष्ट आधारों पर छूट दी जा सकती है।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड:** अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर निर्णय लेना। डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के पास व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं।
- बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
 - केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या और चयन प्रक्रिया जैसे विवरण निर्धारित करेगी।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन:** राज्य द्वारा कुछ आधारों पर डेटा प्रोसेसिंग की छूट गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकती है।
- **डेटा प्रसंस्करण में विनियमन का अभाव:** यह व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिमों को विनियमित नहीं करता है।
- **विदेश में डेटा का स्थानांतरण:** यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के स्थानांतरण की अनुमति देता है, जिससे उन देशों में डेटा संरक्षण मानकों का पर्याप्त मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं हो पाता है जहां व्यक्तिगत डेटा के स्थानांतरण की अनुमति है।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों का अल्प कार्यकाल:** डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

- पुनर्नियुक्ति की गुंजाइश वाली अल्पावधि बोर्ड के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकती है।

महत्त्व

- **नागरिकों को सशक्त बनाना:** ये नियम नागरिकों को उनके डेटा पर अधिक नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाते हैं।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास में वृद्धि:** सूचित सहमति, विलोपन का अधिकार और शिकायत निवारण के प्रावधान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास बढ़ाते हैं।
- **विकास और अधिकारों के बीच उत्तम संतुलन बनाए रखें:** प्रतिबंधात्मक वैश्विक ढाँचे के विपरीत, ये नियम नागरिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- **त्वरित शिकायत निवारण:** डेटा संरक्षण बोर्ड का डिजिटल कार्यालय दृष्टिकोण शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करेगा।

Source: IE

सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण नीतियों में नवीनता की आवश्यकता

समाचार में

- द लांसेट में प्रकाशित हालिया मूल्यांकन में विश्व स्वास्थ्य सभा के वैश्विक पोषण लक्ष्यों (GNTs) की दिशा में वैश्विक प्रगति का आकलन किया गया है।

वैश्विक पोषण लक्ष्य (GNTs)

- इसे विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा मातृ एवं बाल कुपोषण पर सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के प्रभाव पर नज़र रखने के लिए स्थापित किया गया है।



- **मुख्य लक्ष्य:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन को 40% तक कम करना, प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया को 50% तक कम करना, तथा बचपन में अधिक वजन को रोकना।
- **हालिया मूल्यांकन (द लांसेट):** 2012-2021 तक वैश्विक प्रगति का विश्लेषण, 2050 तक के अनुमानों के साथ।
 - अधिकांश देशों में धीमी एवं अपर्याप्त प्रगति।

- वर्ष 2030 तक, कुछ ही देशों (भारत को छोड़कर) द्वारा बौनेपन के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है, तथा किसी भी देश द्वारा कम जन्म-वजन, एनीमिया, या बचपन में अधिक वजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा नहीं है।


प्रगति की चुनौतियाँ:

- **भारत में एनीमिया:** लौह की कमी पर केंद्रित प्रयासों के बावजूद 20 वर्षों से इसका प्रचलन स्थिर है।
 - हाल के अध्ययनों से पता चला है कि आयरन की कमी से एनीमिया का केवल एक तिहाई हिस्सा होता है, जबकि अज्ञात कारणों से एक तिहाई हिस्सा होता है।
 - एक अध्ययन से पता चला है कि जब स्कूल में भोजन बंद कर दिया गया तो एनीमिया में वृद्धि हुई, लेकिन यह लौह की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इससे विविध आहार की आवश्यकता का सुझाव मिलता है।

The prevalence of anaemia has remained static in India for the last two decades

- The cause of anaemia in India is presumed to be iron deficiency
- But large surveys reveal that iron deficiency accounts for only a third of anaemia. Unknown causes account for a third of anaemia
- Rather than focussing on select nutrient deficiencies, the focus should to diversify diets effectively
- Measuring anaemia using capillary blood may not be correct. Venous blood-based anaemia prevalence is roughly half the capillary blood-based prevalence
- Stunting actively occurs within the first two years of life. Stunting increases from about 7-8% at birth to near 40% at two years of age
- Energy intake is the driver of growth in the first two years. The most energy-dense food is oil
- Average fat intake of poor children in India is only 7 grams per day, versus the requirement of 30-40 grams per day

A medley of nutrients prevents anaemia



- **मापन संबंधी मुद्दे:** एनीमिया (शिरापरक बनाम केशिका रक्त) को मापने के विभिन्न तरीकों से अलग-अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, जिससे आँकड़ों की सटीकता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - एनीमिया और बौनेपन के लिए नैदानिक कट-ऑफ सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं, तथा अधिक सटीक मीट्रिक्स की आवश्यकता है।
- **बौनापन:** बौनापन जीवन के प्रथम दो वर्षों में सबसे अधिक प्रचलित है। दो वर्ष की आयु के बाद अधिक भोजन कराने से बौनेपन की समस्या दूर होने के बजाय वजन बढ़ सकता है।
 - भारत में जन्म के समय बौनापन 7-8% से बढ़कर दो वर्ष की आयु तक लगभग 40% हो जाता है।
 - प्रारंभिक रोकथाम (पहले दो वर्षों के अंदर) बौनेपन की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **बौनेपन के लिए आहार संबंधी चिंताएँ:** भारत में गरीब बच्चे आवश्यकता से बहुत कम वसा का सेवन करते हैं (प्रतिदिन 7 ग्राम बनाम आवश्यक 30-40 ग्राम)।
 - नए पोषण दिशानिर्देशों में अब 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आहार में तेल को शामिल किया गया है, जो एक सकारात्मक कदम है।
- **बचपन में अधिक वजन:** अधिक वजन विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी कुपोषण दर से कम है।

- हालाँकि, "चयापचय संबंधी अतिपोषण" (गैर-संचारी रोगों का खतरा) 5-19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 50% भारतीय बच्चों को प्रभावित करता है, जिनमें बौने या कम वजन वाले बच्चे भी शामिल हैं।
 - कुपोषण के साथ-साथ अतिपोषण पर भी नीतिगत ध्यान महत्वपूर्ण होना चाहिए।

भारत में संबंधित पहल

- भारत में भूख और कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय पहल हैं, जिनका ध्यान निम्न आय वाले परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों जैसी कमजोर जनसंख्या पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, जिसके अंतर्गत 16 करोड़ महिलाओं सहित 81 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
- कोविड-19 के दौरान गरीबों की सहायता के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 2029 तक बढ़ाया गया, जिससे 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
- PM पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है, जिसके लिए 2021-2026 के लिए ₹130,794.90 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य भूख और स्कूल में उपस्थिति को कम करना है।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 8.92 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है।
- विटामिन और खनिजों से संवर्धित फोर्टिफाइड चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित किया गया है, जो मार्च 2024 तक कुल 406 लाख मीट्रिक टन होगा।
- सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) और प्याज जैसी वस्तुओं के लिए बफर के माध्यम से मूल्य अस्थिरता का प्रबंधन करती है, जिससे निम्न आय वर्ग के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित होता है।
- 2023 में, सरकार ने सामर्थ्य बनाए रखने के लिए NAFED, NCCF और केन्द्रीय भंडार के माध्यम से भारत दाल और भारत आटा और भारत चावल जैसे सब्सिडी वाले अनाज लॉन्च किए।

सुझाव और आगे की राह:

- भारत की खाद्य सुरक्षा पहल कृषि उत्पादकता बढ़ाने, वितरण प्रणालियों में सुधार लाने और किफायती भोजन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- ये प्रयास, पोषण संबंधी सहायता और सतत प्रथाओं के साथ, दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत को दैनिक आहार की पोषण संरचना में अंतराल को समाप्त करने की जरूरत है, तथा सतत और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
- दैनिक आहार में बाजरा जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों को शामिल करने से पोषण संबंधी कमियों और आहार-संबंधी गैर-संचारी रोगों (NCD) को रोका जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत को अपने डेटा प्रबंधन को मजबूत करना होगा, खाद्य वितरण जवाबदेही में सुधार करना होगा, संसाधन प्रबंधन को बढ़ाना होगा, पोषण शिक्षा में निवेश करना होगा

Source: TH

ग्रेट निकोबार परियोजना का विस्तार

संदर्भ

- केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बड़े विस्तार का प्रस्ताव दिया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना

- **कार्यान्वयन प्राधिकरण:** इस परियोजना का कार्यान्वयन पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) द्वारा किया जा रहा है।
- इस परियोजना में द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 MVA गैस और सौर-आधारित बिजली संयंत्र का विकास शामिल है।
 - ICTT और विद्युत संयंत्र का स्थल ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित गैलेथिया खाड़ी है, जहां कोई मानव निवास नहीं है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)

- अंतर्गत ANIIDCO एक अर्ध-सरकारी एजेंसी है, जिसे 1988 में कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया था।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र के संतुलित और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं व्यावसायिक दोहन करना है।
- इसकी मुख्य गतिविधियों में पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार, भारत में निर्मित विदेशी शराब और दूध, पर्यटन रिसॉर्ट का प्रबंधन तथा पर्यटन और मत्स्य पालन के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

परियोजना का महत्त्व

- **आर्थिक विकास:** अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) ग्रेट निकोबार को वैश्विक समुद्री व्यापार में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **सामरिक महत्त्व :** यह परियोजना भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाती है और माल परिवहन के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करती है।
- **स्थायित्व:** 450 MVA गैस और सौर-आधारित विद्युत संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

नए परिवर्धन क्या हैं?

- इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कूज टर्मिनल और उच्च स्तरीय पर्यटन अवसंरचना शामिल है, जिसका उद्देश्य द्वीप को सतत पारिस्थितिकी पर्यटन के साथ एक वैश्विक बंदरगाह-आधारित शहर में बदलना है।
- शिपिंग मंत्रालय ने प्रस्तावित जहाज निर्माण और जहाज तोड़ने की सुविधा तथा निर्यात-आयात बंदरगाह के लिए समुद्र तट के साथ 100 एकड़ भूमि भी माँगी है।

परियोजना से जुड़ी चिंताएँ

- **पारिस्थितिक क्षरण:** इससे लगभग 33,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध वन नष्ट हो जाएँगे तथा प्रवाल भित्तियों और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए घोंसले के मैदानों सहित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

- **मानवीय चिंताएँ:** इस परियोजना के कारण मेरो और मेंचल द्वीपों पर पारंपरिक अधिकार रखने वाले पायुह जैसे स्वदेशी समुदायों का विस्थापन होगा, जिससे उनकी आजीविका एवं सांस्कृतिक विरासत बाधित होगी।
- **पारदर्शिता के मुद्दे:** राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का उदाहरण देते हुए, RTI अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत विस्तृत परियोजना जानकारी के लिए कई अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया।

निष्कर्ष

- यद्यपि ग्रेट निकोबार परियोजना का उद्देश्य आर्थिक विकास और रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देना है, लेकिन इससे पर्यावरणीय क्षति एवं स्वदेशी लोगों के विस्थापन का खतरा भी है।
- जैव विविधता संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पारदर्शी, परामर्शात्मक और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

- **अवस्थिति:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से 1,300 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।
 - यह 6° 45' उत्तर से 13° 41' उत्तर तक तथा 92° 12' पूर्व से 93° 57' पूर्व तक फैला हुआ है।
- यह द्वीपसमूह 500 से अधिक बड़े और छोटे द्वीपों से बना है, जो दो अलग-अलग द्वीप समूहों में विभाजित हैं - अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह।
 - 'दस डिग्री चैनल' उत्तर में अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।

अंडमान द्वीप समूह

- इन द्वीपों को तीन प्रमुख उप-समूहों में विभाजित किया गया है - उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है।

निकोबार द्वीप समूह

- इन द्वीपों को तीन प्रमुख उप-समूहों में विभाजित किया गया है - उत्तरी समूह, मध्य समूह और दक्षिणी समूह।
 - ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह दक्षिणी द्वीपसमूह में स्थित सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है।
 - भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 'इंदिरा प्वाइंट' ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।

अन्य सुविधाओं

- इनमें से अधिकांश द्वीपों का आधार ज्वालामुखी है तथा ये तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से बने हैं।
- पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन और नार्कोडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं।
- कुछ द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं।
- उत्तरी अंडमान में सैडल पीक (737 मीटर) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी है।
- 2018 में निम्नलिखित तीन द्वीपों के नाम बदले गए:
 - रॉस द्वीप - का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया

- नील द्वीप – का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया
- हैवलॉक द्वीप – का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया



Source: TH

नैनोपोर प्रौद्योगिकी

समाचार में

- नैनोपोर प्रौद्योगिकी एकल अणुओं, विशेषकर DNA और आरएनए के विश्लेषण के लिए एक क्रांतिकारी विधि है।

नैनोपोर प्रौद्योगिकी कैसे कार्य करती है?

- **नैनोपोर निर्माण:** एक या कुछ छोटे छिद्र एक झिल्ली में अंतर्निहित होते हैं, जो सिलिकॉन, ग्रेफीन या जैविक झिल्ली (जैसे लिपिड बाईलेयर) जैसी सामग्रियों से बने हो सकते हैं।
- **अणु मार्ग:** DNA स्टैंड जैसे अणुओं को प्रायः विद्युत क्षेत्र लगाकर इन नैनोपोरों से होकर गुजारा जाता है। जैसे ही अणु गुजरता है, यह आयनों के प्रवाह को आंशिक रूप से बाधित कर देता है।

- **संकेत संसूचन:** अवरोध विद्युत धारा में परिवर्तन उत्पन्न करता है जो अणु के आकार और संरचना के समानुपाती होता है। इससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है:
 - DNA या RNA में क्षारों का अनुक्रम
 - प्रोटीन या अन्य बड़े अणुओं का आकार
 - अणु की संरचना या आकार

नैनोपोर प्रौद्योगिकी के लाभ

- **उच्च रिज़ॉल्यूशन:** आणविक गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- **वास्तविक समय विश्लेषण:** नैनोपोर से गुजरते समय अणुओं का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे गतिशील डेटा प्राप्त होता है।
- **PCR या प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं:** पारंपरिक अनुक्रमण विधियों के विपरीत, नैनोपोर प्रौद्योगिकी PCR प्रवर्धन की आवश्यकता के बिना सीधे DNA का विश्लेषण कर सकती है, जिससे प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाती है।

अनुप्रयोग

- **DNA अनुक्रमण:** यह जीनोम के तीव्र, लागत प्रभावी अनुक्रमण की अनुमति देता है, जिससे व्यक्तिगत चिकित्सा और आनुवंशिक अनुसंधान में प्रगति संभव होती है।
- **प्रोटीन विश्लेषण:** नैनोपोरों का उपयोग प्रोटीन एवं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे रोगों और जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है।
- **बायोमार्कर जाँच:** यह प्रौद्योगिकी जैविक तरल पदार्थों में बायोमार्करों का पता लगाने के लिए उपयोगी है, जिससे गैर-आक्रामक निदान का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा परीक्षण:** नैनोपोर प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य और जल में संदूषकों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा में सहायक है।

Source: [Earth.com](https://www.earth.com)

केरल ने वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा

संदर्भ

- केरल सरकार ने केरल वन अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है।

परिचय

- केरल वन (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य केरल में पर्यावरण एवं वन प्रबंधन के मुद्दों का समाधान करना है, जिसमें प्राथमिक रूप से वन क्षेत्रों से जुड़ी नदियों और अन्य जल निकायों में अपशिष्ट डालने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - हालाँकि, विधेयक के कुछ प्रावधानों ने किसान संगठनों और स्थानीय निवासियों के बीच चिंता उत्पन्न कर दी है।

प्रमुख संशोधन

- **गिरफ्तारी और हिरासत की शक्तियाँ:** विधेयक वन अधिकारियों को वन-संबंधी अपराधों के संदिग्ध व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यह शक्ति वन सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों तक विस्तारित है, जिससे संभावित दुरुपयोग की चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं, विशेष रूप से "वन अधिकारी" की विस्तारित परिभाषा में अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करने के कारण।

- **वन अधिकारी की विस्तारित परिभाषा:** इसमें बीट वन अधिकारियों, जनजातीय निगरानीकर्ताओं और वन निगरानीकर्ताओं को शामिल किया गया है - जिनमें से विभिन्न अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं और राजनीतिक सिफारिशों से प्रभावित हो सकते हैं - जिससे सत्ता के दुरुपयोग और अन्यायपूर्ण कार्यों की संभावना के बारे में चिंता बढ़ गई है।
- **स्थानीय नदियों पर प्रभाव:** वन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में अपशिष्ट फेंकने को अपराध की श्रेणी में रखकर, विधेयक अधिनियम के दायरे को वन सीमाओं से परे तक विस्तारित करता है।
 - केरल में कई नदियाँ जंगलों में प्रवेश करने से पहले जनसंख्या वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिससे गैर-वनीय क्षेत्रों पर वन अधिकारियों के नियंत्रण में वृद्धि की आशंका बढ़ गई है, जिससे स्थानीय निवासियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
- **जुर्माना बढ़ाया गया:** छोटे वन अपराधों के लिए मौजूदा जुर्माना 1,000 रुपये को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
 - 25,000 रुपये तक के कुछ अन्य जुर्माने को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

विंटर चार धाम

संदर्भ

- उत्तराखंड सरकार ने सर्दियों में तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन चार धाम सर्किट का उद्घाटन किया।

चार धाम क्या है?

- **चार पवित्र स्थान, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ** को सामूहिक रूप से चार धाम के नाम से जाना जाता है।
 - **यमुनोत्री:** उत्तरकाशी जिले में स्थित, **यमुनोत्री मंदिर** यमुना नदी के स्रोत के पास एक संकीर्ण घाटी (Narrow Gorge) में स्थित है।
 - **गंगोत्री:** उत्तरकाशी जिले में, **गंगोत्री देवी** गंगा को समर्पित है, जो भारत में सबसे पवित्र नदी के रूप में प्रतिष्ठित है।
 - **केदारनाथ:** रुद्रप्रायग जिले में स्थित, केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और बारह ज्योतिर्लिंग में से एक है।
 - **बद्रीनाथ:** चामोली जिले में स्थित, बद्रीनाथ में बद्रीनारायण मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है।

विंटर चार धाम

- **भारी बर्फबारी के कारण,** चार धाम स्थान (साइटें) सर्दियों में दुर्गम हो जाती हैं और इन मंदिरों के पीठासीन देवताओं को कम ऊँचाई पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे 'विंटर चार धाम' के रूप में जाना जाता है।
- स्थान (साइटें) जैसे हैं:
 - यमुनोत्री की उत्तरकाशी में **खरसाली** में अपनी सर्दियों की सीट है।
 - गंगोत्री को सर्दियों के दौरान उत्तरकाशी में **मुखबा** में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
 - बद्रीनाथ ने चामोली में **पंडुकेश्वर** में अपना सर्दियों का निवास स्थान पाया।

- केदारनाथ उखिमथ, रुद्रप्रायग में ओमकारेश्वर मंदिर में बदल जाता है।

Source: IE

इक्वेडोर(Ecuador)

समाचार में

- इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष को बढ़ने के कारण सातों प्रांतों एवं तीन नगरपालिकाओं में 60-दिवसीय राज्य आपातकाल की घोषणा की है।



इक्वेडोर(Ecuador)

- **अवस्थिति** : यह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कोलंबिया एवं पेरू के बीच भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की सीमा पर है।
- **राजधानी** : क्विटो(Quito)
- **सर्वोच्च चोटी**: माउंट चिम्बोराज़ो
- **प्रमुख नदियाँ** : बाबाहोयो, चिरोकोका, कररे, डौले, एस्मेराल्डस, गुआस, नैपो, पास्ता एवं पुटुमायो।
- यह अपने विविध एवं आश्चर्यजनक(stunning) परिदृश्यों(landscapes) के लिए जाना जाता है, जिसमें विशाल अमेज़न जंगल, विशाल एंडियन हाइलैंड्स, एवं गैलापागोस द्वीप, एक **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** सम्मिलित हैं जो अपने अद्वितीय वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- इक्वाडोर भी **अवैध दवा व्यापार** गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

Source: AIR

CSIR पेरसिटामॉल टेक्नोलॉजी

समाचार में

- केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि **काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR)** ने एक स्वदेशी **पेरसिटामॉल दवा** विकसित की है, जो आयातित कच्चे माल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।

पेरसिटामॉल:

- पेरसिटामॉल, जिसे रासायनिक रूप से **एन-एसिटाइल-पैरा-एमिनोफेनॉल** के रूप में जाना जाता है, का उपयोग व्यापक रूप से दर्द से राहत एवं बुखार में कमी के लिए किया जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान में, इसे **एसिटामिनोफेन** (इसकी रासायनिक संरचना से व्युत्पन्न) कहा जाता है, जबकि भारत सहित अधिकांश अन्य देशों में, "**पेरसिटामॉल**" नाम का उपयोग किया जाता है।
- यह **प्रोस्टाग्लैंडीन** को रोककर काम करता है, जो दर्द को बढ़ाता है, और बुखार में कमी के लिए **हाइपोथैलेमस** को लक्षित करता है।
- **जोखिम और खतरे**: पेरसिटामॉल विषाक्तता चुपचाप वैश्विक स्तर पर हजारों मौतों का कारण बनती है, जिसमें 60,000 से अधिक आपातकालीन यात्राएँ(Emergency Visit) और अकेले अमेरिका में सालाना 500 से अधिक मौतें होती हैं।

- इस मुद्दे को कमजोर कर दिया गया है, विशेष रूप से एशिया, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका में, और इसके पैमाने के बावजूद शायद ही कभी चर्चा की गई।

क्या आप जानते हैं?

- CSIR उपलब्धियों में 108-पंखुड़ी वाले लोटस, हाइड्रोजन बसों, जैव ईंधन, सुगंध मिशन (लैवेंडर खेती), एवं स्वदेशी रूप से विकसित पेरासिटामॉल जैसे नवाचार सम्मिलित हैं।

Source: PIB

ग्रामीण गरीबी में गिरावट: SBI अनुसंधान

समाचार में

- हाल ही में, SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग (ERD) ने ग्रामीण गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की।

शोध के बारे में: निष्कर्ष

- भारत की गरीबी दर 2011-12 में 22% से काफी गिरकर 2023-24 में न्यूनतम अत्यधिक गरीबी (extreme poverty) के साथ 5% से नीचे हो गई है।
 - ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7% से गिरकर 2023-24 में 4.86% हो गई, और शहरी गरीबी 2022-23 में 4.6% से घटकर 2023-24 में 4.09% हो गई।
- **सीमा(threshold):** रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए FY24 के लिए 1,632 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1,944 रुपये की नई गरीबी रेखा निर्धारित की गई है, जो मुद्रास्फीति एवं प्रतिरूपण कारक के लिए समायोजित है।
 - सुरेश तेंदुलकर गरीबी रेखा (2011-12 में अनुमानित) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये थी।
- **शहरी-ग्रामीण उपभोग (consumption) असमानता:** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) में अंतर 2023-24 में 2011-12 में 84% से 70% तक कम हो गया, जो निरंतर ग्रामीण उपभोग में वृद्धि को दर्शाता है।
- **मुद्रास्फीति एवं उपभोग का प्रभाव:** बढ़ती मुद्रास्फीति ने ग्रामीण, कम आय वाले राज्यों में अधिक स्पष्ट प्रभाव के साथ समग्र उपभोग को कम किया।
 - मध्य-आय वाले राज्यों ने उपभोग की माँग को बनाए रखने में सहायता की।

गरीबी में गिरावट के पीछे के कारक

- **उपभोग वृद्धि:** 0-5% आय समूह में उच्च उपभोग वृद्धि।
 - ग्रामीण उपभोग में 22% की वृद्धि देखी गई, जिसमें MPCE 2023-24 में 1,677 रुपये तक पहुँच गया, और शहरी क्षेत्रों में 18.7% की वृद्धि 2,376 रुपये हो गई।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में 0.24 एवं शहरी क्षेत्रों में 0.24 तक गिरावट के साथ, उपभोग असमानता में कमी आई।
- **5-10% से 0-5% आय समूह में गरीबी रेखा में शिफ्ट।**
- **बढ़ी हुई भौतिक बुनियादी ढाँचे के कारण** ग्रामीण गतिशीलता में सुधार हुआ।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी** सरकारी योजनाएँ ग्रामीण-शहरी आय असमानता को कम करने में योगदान करती हैं।
 - लगभग 30% ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) को DBT ट्रांसफर, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास एवं किसानों की आय के लिए समर्थन जैसे कारकों द्वारा समझाया गया है।

क्या आप जानते हैं ?

- भारत ने विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से कई आयामों में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- **पोखन अभियान और एनीमिया मुक्त भारत** ने स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार किया है और अभाव कम हो गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा** अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों की सेवा करती है, जो ग्रामीण एवं शहरी आबादी को खाद्य अनाज प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना:** सरकार ने गरीबी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, एक और पाँच साल के लिए मुफ्त खाद्य अनाज वितरण कार्यक्रम को बढ़ाया।
- **अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम:**
 - **उज्ज्वला योजना:** क्लीन कुकिंग ईंधन वितरण।
 - **सौभाग्य योजना:** विस्तारित बिजली कवरेज।
 - **स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन:** स्वच्छता एवं जल आपूर्ति में सुधार।
 - **प्रधान मंत्री जन धन योजना:** सभी के लिए बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेश।
 - **प्रधान मंत्री अवास योजना:** वंचितों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना।

Source:IE

डॉ राजगोपाला चिदंबरम**संदर्भ**

- भारत के परमाणु कार्यक्रम में एक प्रमुख व्यक्ति डॉ राजगोपाला चिदंबरम का हाल ही में निधन हो गया।

उनके प्रमुख योगदान

- वह **परमाणु ऊर्जा आयोग** के पूर्व अध्यक्ष थे।
- उन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** (1994-1995) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।
- **मिशन स्माइलिंग बुद्धा (Smiling Buddha):** 1974 में, वह एक मिशन का भाग थे, जिसका नाम 'मुस्कुराते हुए बुद्ध' था, जिसने महान गोपनीयता के बीच पोखरान, राजस्थान में एक "शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण" किया।
 - इसने भारत को परमाणु उपकरण का परीक्षण करने वाला छठा देश बना दिया।
- **मिशन शक्ति:** 1998 में, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने मिशन शक्ति का नेतृत्व किया, जिसने वैश्विक मंच पर एक परमाणु ऊर्जा के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया।
- उन्होंने **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, या क्वांटम टेक्नोलॉजीज** पर मिशन सहित कई मेगा विज्ञान परियोजनाओं का समर्थन किया।
- वह **2002-2018** तक भारत सरकार के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले **प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA)** भी रहे।
- **पुरस्कार:** वह पद्म श्री (1975) एवं पद्म विभूशन (1999) के प्राप्तकर्ता थे।

Source: TH

ISRO's CROPS प्रयोग

संदर्भ

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक मिशन द्वारा कक्षा में ले गए काउपिया(cowpea) के बीजों के एक बैच द्वारा अपने प्रथम पत्तियों का अनावरण किया है।

परिचय

- **CROPS पेलोड:** अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज (CROPS) प्रयोग के भाग के रूप में आठ लोबिया के बीज भेजे।
- **उद्देश्य:** यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) द्वारा माइक्रोग्रैविटी स्थितियों में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया है।
- **CROPS** एक बड़ी पहल का हिस्सा हैं, जो इसरो की क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के चरणों में अंतरिक्ष में लंबी अवधि के पौधों की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
 - वर्तमान प्रयोग को पाँच से सात दिनों के बीच रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बीज अंकुरण एवं दो-पत्ती चरण तक पौधे का विकास।
- **महत्त्व :** परिणाम विस्तारित मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Source: TH


विश्व ब्रेल(Braille) दिवस 2025

संदर्भ

- 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

परिचय

- **स्थापना:** इस दिवस को 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
- यह दिन **लुई ब्रेल** को श्रद्धांजलि है जिनका जन्म **04 जनवरी 1809** को हुआ था, वे ब्रेल लिपि प्रणाली के दूरदर्शी थे।
 - एक आंख की चोट के कारण वह 3 साल की उम्र में पूरी तरह से अपने दोनों आंखों की रोशनी खो दिए।
- **ब्रेल प्रणाली :** इसका उपयोग विश्व भर में अंधे एवं आंशिक रूप से देख पा रहे लोगों द्वारा पुस्तकों एवं आवधिकों को पढ़ने के लिए किया जाता है।
 - इसे 1854 में पेरिस में संस्थान द्वारा स्वीकार किया गया था।
- **महत्त्व :**
 - ब्रेल का उपयोग विश्व भर में लगभग हर भाषा में किया जाता है।
 - यह न केवल संचार का एक साधन है, परंतु उन लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक समावेश के लिए एक पुल भी है जो अंधे या नेत्रहीन हैं।



Source: TH

INSV तारिणी

संदर्भ

- INSV तारिणी **नाविका सागर परिक्रमा-II** के तीसरे चरण पर रवाना हुई।
 - INSV तारिणी को लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 66,000 समुद्री मील (122,223 किमी) से अधिक की दूरी तय कर चुका है।
 - इसने 2017 में **प्रथम नविका सागर परिक्रमा अभियान** में भाग लिया था।

नविका सागर परिक्रमा-II

- नाविका सागर परिक्रमा-II **भारतीय नौसेना** का एक अभियान है जिसका लक्ष्य तीन महान अन्तरियों(Great Capes) से होकर **पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा** करना है।
- 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें दो महिला नौसेना अधिकारी यात्रा का नेतृत्व रहीं
 - **अभियान का प्रथम चरण** हिंद महासागर में 38 दिनों तक चला, जिसमें फ्रेमैंटल, ऑस्ट्रेलिया में एक पड़ाव भी सम्मिलित था।
 - **द्वितीय चरण** 28 दिनों का था, जो फ्रेमैंटल से लेकर न्यूज़ीलैंड के लिटलटन(Lyttelton) तक था।
 - **तृतीय चरण** 5,600 समुद्री मील का होगा, जो जहाज को लिटलटन से फॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली तक ले जाएगा, तथा दक्षिण प्रशांत महासागर एवं ड्रेक पैसेज से होकर गुजरेगा।

Source: TH

